ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

सागर नगर के शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन

Study of Basic Facilities Available in Government Primary Schools of Sagar Nagar

Paper Submission: 02/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 25/06/2021

सारांश

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रमुख रूप से शत प्रतिशत विद्यालयों की सुलभता एवं नामांकन, भेदरहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दी वितरण के साथ–साथ सेवारत शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है । विभिन्न प्रकार के योजनाओं के संचालन के पश्चात भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। प्रस्तुत शोध सागर नगर के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का एक अध्ययन हैं जिस हेतु सागर नगर के क्षेत्र में आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ताओं ने अवलोकन सूची एवं चेकलिस्ट का प्रयोग किया है। प्रतिशत विधि का प्रयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

Various programs are being run by the Government of India for the universalization of primary education, in which the main emphasis is on access and enrollment of 100% schools, quality education without discrimination, free textbooks and uniform distribution as well as regular training of in-service teachers. has gone . Despite the operation of various schemes, the condition of primary education is not very encouraging. The present research is a study of the present status of the basic facilities available in the primary schools of Sagar Nagar, for which all the primary schools coming in the area of Sagar Nagar have been included. Descriptive survey method has been used in the present research. Researchers have used observation lists and checklists for data collection. The conclusions were drawn by analyzing the data using percentage method.

मुख्य शब्द : प्राथमिक विद्यालय, मूलभूत सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा, सागर नगर।
Primary School, Basic Amenities, Primary Education, Sagar Nagar.

अभिषेक कुमार प्रजापति
सहायक आचार्य,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर,
म.प्र., भारत

अम्बुज कुमार
छात्र,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर,
म.प्र., भारत

प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस गति से शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं की सुविधा बढ़ायी जायेगी उसी अनुपात में देश की आर्थिक वृद्धि होगी। अतः किसी देश के नागरिकों का विकास करने का मुख्य साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। विद्वानों तथा शिक्षाशास्त्रियों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक ऐसी सोद्देश्य पूर्ण, सतत् गतिशील तथा सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात एवं अन्तर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने वाहय जीवन में और अधिक अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है। अरस्तू शिक्षा के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं, ''शिक्षित मनुष्य अशिक्षित मानवों से उतने ही उच्च है, जितने मृतक से जीवित''। जीने का सच्चा अर्थ ही अरस्तू ने शिक्षा लिया है। उनके लिए शिक्षा स्पन्दन है, शिक्षा ही गति है, शिक्षा ही विकास है, शिक्षा ही जीवनी शक्ति है इसलिए उनकी सम्मति में शिक्षा के अभाव में एक जीवित व्यक्ति भी मृतक के समान है। भारत में सामान्यतः औपचारिक शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तर माने जाते है – प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर। प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है, पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है। व्यक्तिगत समायोजन तर्क का विकास एवं चरित्र निर्माण के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर राष्ट्र की पूरी जनसंख्या से होता है। हर कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है और बच्चा ही बड़ा होकर व्यक्ति का रूप धारण करता है और परिवार तथा समाज का जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा ही जीवन का मूलाधार है। सामान्यतः शिक्षा सविधिक एवं अनौपचारिक रूप से बच्चे के जन्म के साथ प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में लगभग छः वर्ष से लेकर ग्यारह वर्ष तक की उम्र को प्राथमिक शिक्षा हेतु योग्य माना गया है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा, जिसे प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है, बच्चों को विभिन्न विषयों की एक बुनियादी समझ के साथ–साथ कौशल भी प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा उस भवन की नींव है जो हम बनाना चाहते हैं। एक कमजोर नींव पर बनाया गया सुन्दर मकान ताश के पत्तों से बनाये गये मकान की तरह गिर सकता है। किसी राष्ट्र की शक्ति और उन्नति का आधार उसके लोगों की शिक्षा होती है। शिक्षा को व्यक्ति की तीसरी आँख कहा गया है। सार्वजनिक साक्षरता के प्रसार के लिए प्राथमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक विकास तथा सामाजिक ढंाचे के आधुनिकीकरण में कुशलता से काम करने की एक मूलभूत आवश्यकता है। श्री के. जी. सैइदयैन ने अपनी पुस्तक ''प्राब्लम्स् ऑफ एजूकेशनल रिकंस्ट्रक्शन'' में लिखा है, ''इस प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध किसी श्रेणी या दल के साथ नहीं बल्कि देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के साथ है। यह जीवन के प्रत्येक बिन्दु के छूती है और यह किसी एक प्रक्रिया (सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षिक) के साथ ही सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि राष्ट्रीय आदर्श और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम करती है। हमें यह बात देख लेनी चाहिए कि इसकी समस्यायें तथा उद्देश्य क्या हैं? यह सबकुछ अंधेरे तथा तंग भवनों में नहीं देखना होगा बल्कि इसके अन्तिम उद्देश्यों की पृष्ठिभूमि में देखना होगा।'' अतः जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है। इस शिक्षा की अवहेलना से देश का पतन हो सकता है। अतः इसका उत्थान करके ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इस प्रसंग में स्वामी विवेकानंद के अग्रांकित वाक्य सत्य से भरपूर है, ''मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा''। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री कार्टर वी.बुड ने प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह प्रारम्भिक विद्यालय का वह भाग है जिसमें एक से तीन तक की कक्षाएँ शामिल है, जिसमें मुख्यतया आधारभूत कौशलों यथा पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित का शिक्षा की जाती है। प्राथमिक शिक्षा की अवधि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की हैं।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को निम्न प्राथमिक शिक्षा तथा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में प्राथमिक शिक्षा को प्रथम पांच वर्ष की शिक्षा को प्राथमिक स्तर तथा अगले तीन वर्ष की शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर कहा है। पंचवर्षीय योजनाओं का झुकाव प्राथमिक शिक्षा को दो चरणों में बाँटने का है : पाँच वर्षीय कोर्स जो छः से ग्यारह वर्ष की आयु वर्ग के लिए है तथा तीन वर्षीय कोर्स जो ग्यारह से चौदह वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 (क) के अनुसार 6–14 वर्ष अर्थात् कक्षा 1 से 8 तक तक के बच्चों की शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा कहा जाता है।

सामान्यतः औपचारिक शिक्षा को मुख्यतः तीन स्तरों में बाँटा गया है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च। प्राथमिक शिक्षा मूलतः 2 स्तरों में विभाजित है निम्न एवं उच्च। निम्न प्राथमिक शिक्षा जिसे प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है कि अवधि पाँच वर्षो तक ही होती है और उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की होती है।

मध्यप्रदेश में शालेय (विद्यालयी) शिक्षा को मुख्यतः तीन स्तरों में बाँटा गया है– पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा के ये तीनों स्तर, तीन अवस्थाओं से सम्बन्धित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा शैशवकाल से प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से तथा माध्यमिक शिक्षा किशोरावस्था से सम्बन्धित मानी जाती है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को माना जाता है। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा माध्यमिक शालाओं में सम्पन्न होती है। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा की कक्षाएँ 9 से 12 मानी जाती है। कोठारी आयोग (1964–66) ने प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये है

1. बच्चों में स्वास्थ्य अच्छी आदतों का निर्माण करना तथा व्यक्तिगत समायोजन के लिए आवश्यक बुनियादी कुशलताओं को विकसित करना, जैसे वस्त्र पहनना, शौचादि जाना, नहाना, भोजन करना तथा सफाई करना आदि।
2. वांछित सामाजिक अभिवृत्तियों एवं ढंगों का विकास करना, बच्चों को अपने अधिकारों तथा दूसरों के विशेषाधिकारों के प्रति जागरूक करना ।
3. बच्चों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने हेतु निर्देश देना जिससे संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो।
4. बालक के संसार में बौद्धिक उत्सुकता पैदा करना तथा उसमें नवीन रूचियाँ विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करना।
5. बच्चों हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग के अवसर प्रदान करना।
6. बच्चों को स्वतन्त्रता और सृजनात्मकता के प्रोत्साहन हेतु स्वयं अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

7. बच्चों में स्पष्ट तथा सही भाषा द्वाना अपने विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने की।
8. बच्चों को मुक्त वातावरण में खेलने और पढ़ने के अवसर प्रदान करना।

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, (2011) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों से अनिवार्य विषयों त्रिभाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत), गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण की मूलधारणाओं को समझना तथा भारतीय मूल्यों, सामान्य सांस्कृतिक विरासत उसका संरक्षण, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।

भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास

वैदिक काल (2500 ई.पू.–500 ई.पू.) में प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। यह पारिवारिक परिधि से परे आश्रम एवं गुरूकुलों सम्पन्न होती थी। गुरूकुल नागरिक चहल पहल से दूर वनों में स्थित थे (अल्तेकर, 2014 पृ.क्र. 25) तथा इन्हें गुरूआश्रम की संज्ञा दी जाती थी। आश्रम घासफूस से बने होते थे तथा आवश्यक सुविधाओं से युक्त थे। शिक्षा का श्रीगणेश उपनयन संस्कार के बाद किया जाता था। इस संस्कार के उपरान्त बच्चे गुरू– आश्रम में रहकर ही विद्या प्रारम्भ करते थे। इस प्रकार गुरूकुलों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाने लगा। प्राथमिक शिक्षा का यह समय स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी (अल्तेकर, 2014)। वैदिक शिक्षा के अवसान के पश्चात् बौद्ध काल (500 ई.पू.–1200 ई.) में प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ पब्बज्जा संस्कार से होता था तथा उपाध्यायों द्वारा मठों एवं विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मठों एवं विहारों के भवन पक्के एवं सर्वसुविधा युक्त थे। विहार स्वयं में ही एक नगर होते थे। बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा लौकिक जगत की आवश्यकताओं के अनुकूल थी तथा पारलौकिक जगत के लिये तैयार करती थी (अल्तेकर, 2014)। बौद्ध काल के पश्चात् मध्यकाल (1200 ई.–1700 ई.) में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र मकतब थे। इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे (लाल एवं शर्मा, 2012) । मकतब सामान्यतः मस्जिदों से सम्बन्धित होते थे अतः उनके भवन पक्के होते थे। मुसलमान बादशाहों ने तत्कालीन समय में मकतब और मदरसे बनवाये। मध्यकाल के पश्चात् ब्रिटिश काल (1700 ई.–1947 ई.) में यूरोप के व्यापारियों के ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत सारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी। इन प्राथमिक विद्यालयों के भवन पक्के एवं सर्वसुविधायुक्त थे तथा प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क भोजन, कपड़े तथा पुस्तके प्रदान की जाती थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने भारतीय शैक्षिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान के खण्ड–3 मूल अधिकार–3 व खण्ड–4 राज्य के नीति निदेशक तत्व में शैक्षिक प्रावधानों को सम्मिलित किया। इसके साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय संविधान के तीसरे खण्ड में अनुच्छेद–14 से 32 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है एवं संविधान के खण्ड 4 में अनुच्छेद 39–47 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में नागरिकों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने प्राथमिक शिक्षा को भावी जीवन एवं आदर्श नागरिक निर्मित करने वाला मानता है। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के नामांकन वृद्धि करने के स्थान पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने पर जोर दिया है। आयोग ने प्राथमिक शालाओं की पहुँच और अवरोधन को रोकने हेतु शालाओं में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने बालकेन्द्रित शिक्षा पर बल देते हुए कहा है, प्राथमिक शिक्षा की पद्धति बालकेन्द्रित होनी चाहिये बच्चो को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती जब वहां का वातावरण प्यार अपनत्व और प्रोत्साहन भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चो की आवश्यकता पर ध्यान दे रहे हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चो को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा और विद्यालय के समय तथा छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जाएगा।

विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ

विद्यालय एक ऐसा स्थान हैं जहॉ से शैक्षिक क्रियायें संचालित की जाती है। सर्वागींण विकास हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो। विद्यालय के रू॰ में विद्यालय भवन की कल्पना की जाती है। प्रायः लोग 'विद्यालय भवन' का तात्पर्य विद्यालय की इमारत से लगाते है किन्तु वास्तव में यह एक व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत इमारत के अतिरिक्त स्थिति, बनावट, खेल का मैदान, अजायवघर, पुस्तकालय, कक्ष–कक्ष शिक्षक कक्ष, शौचालय, मूत्रालय, फर्नीचर यंत्र, उपकरण एवं अन्य साज सामान का समावेश होता है।

सर्व–शिक्षा अभियान (2001–02) जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारम्भिक शिक्षा में बालक–बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अन्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ–साथ नए विद्यालय खोला जाना तथा वैकल्पिक विद्यालयी सुविधाओं को प्रदान करना, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, प्रसाधन कक्ष का निर्माण पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति उनका प्रशिक्षण, अकादमिक संसाधन सहायता, विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें एवं वर्दी प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय में भौतिक संसाधनों के अन्तर्गत उपयुक्त कक्षा–कक्ष अतिरिक्त अध्ययन कक्ष, शौचालय (अलग–अलग) पीने का पानी खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि की सुविधा होनी चाहिए जबकि शैक्षिक सुविधाओं के अर्न्तगत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, वर्दी आदि सम्मिलित है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के शब्दों में शालाओं में भौतिक सामग्री की न्यूनतम जरूरते पूरी होनी चाहिए जिससे पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को पूर्ण करने में मदद मिलें। कक्षा–कक्ष हवादार होने चाहिए और उनका भौतिक खाका इस प्रकार का होना चाहिए कि अवसर के अनुसार उनमें बदलाव किया जा सकें। विद्यालय में फर्नीचर विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए। लोहे के फर्नीचर की जगह हल्के फर्नीचर शालाओं हेतु ज्यादा उपयुक्त हैं। विद्यालयों एवं कक्षा–कक्ष का ज्यादातर उपयोग सीखने हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए। विद्यालयों की दीवारों पर आदर्श वाक्य, फर्श पर रेखागणितीय आकृतियॉ, कक्षा–कक्ष के कोने में लिखने एवं पढ़ने के स्थान के रूप में इसके अच्छे उदाहरण है। विद्यालय में खेल के मैदान, पुस्तकालय (अच्छी–अच्छी कहानियों एवं कविताओं हेतु) पीने के पानी की उचित सुविधाएँ, अलग–अलग शौचालय एवं अन्य आवश्यक सीखने एवं खेलने की सामग्री विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अनुसार मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत भौतिक सुविधाएँ यथा समावेशी विद्यालय भवन, पेयजल की सुविधा लड़के एवं लड़कियों हेतु अलग–अलग शौचालय, उपयुक्त फर्नीचर, खेल के मैदान, चहारदीवारी, रसोईघर, विद्युत कनेक्शन इत्यादि तथा शैक्षिक सुविधाएँ यथा प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षक–छात्र अनुपात, श्यामपट्ट, छात्रवृत्ति सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि सम्मिलित है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

औपचारिक शिक्षा के केन्द्रों में प्राथमिक शाला अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक शाला आगे की शिक्षा की नींव मानी जाती है। शाला और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। शालाएं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों का निर्माण करती है। अतः देश की परिस्थितियो एवं आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन भी होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन प्राथमिक शिक्षा पर आधारित होता है क्योंकि उसके सम्पूर्ण जीवन की नींव प्राथमिक शिक्षा द्वारा ही डाली जाती है। यह नींव जितनी अधिक मजबूत होगी उसका जीवन उतना ही खुशहाल और सम्पन्न होगा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद–45 के अंतर्गत यह घोषणा की गई कि, *''राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।''* परन्तु देश के सामने यह समस्या थी कि देश के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चो प्राथमिक शिक्षा कैसे सर्वसुलभ करायी जाए?

देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उन्नयन को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर अनेक योजनाये चलाई गई। यथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड (1988), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्यान्ह भोजन योजना (1995) आदि। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लक्ष्य हेतु सरकार ने 2001 में सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी और संयुक्त प्रयास के द्वारा की।

प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान किये गये है जिसमें बच्चों के अनुकूल विद्यालय भवन, वातावरण खेल के मैदान, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पाठ्यसामग्री की उपलब्धता प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति आदि। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू होने के एक दशक पूरा होने को जा रहा है परन्तु अब भी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपस्थिति नाम मात्र ही है (सिंह, यादव और कुमार, 2017) भारत में अभी कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अधिसूचित की गई सुविधायें पूर्ण रूपेण उपलब्ध हो। (न्यूपा, 2016)

विभिन्न शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सुविधायें बढ़ाने से विद्यार्थियों का विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़ा है और नामांकन में वृद्धि हुई है (पाण्डेय, 2007; पाण्डेय, 2012)। अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि जहाँ विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव था वहां नामांकन की स्थिति अच्छी नहीं थी पठन–पाठन की स्थिति संतोषजनक नहीं थी (वदन, 2017; चौहान, 2017; पाण्डेय, 2008)। इस विषय में विभिन्न अध्ययन बताते है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के संचालन के बावजूद विद्यालय में नामांकन में तो वृद्धि हुयी थी लेकिन विद्यालय परित्याग की समस्या बनी हुयी है (राम, 2006; शर्मा एवं पचौरी, 2006; मिश्रा, 2009)। विभिन्न समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर, 2017, नवदुनिया, 2007) ने भी विद्यालय परित्याग की समस्या को प्रमुखता से अपने खबरों में जगह दी है। सागर शहर के प्राथमिक शालाओं में लगातार नामांकन दर की कमी होने से शालाओं के बंद होने और बच्चों की विद्यालय में कमी के कारण एक शाला को दूसरे में विलय करने की खबरें वर्षभर समाचार पत्रों में जगह पाती रही।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शालाओं का मूलभूत वांछित सुविधायों से युक्त होना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परम आवश्यक है क्योकि शिक्षा से ही हमारे समाज एवं राष्ट्र के विकास की नीव पड़ती है। इसी कारण शोधकर्ताओं ने प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर अध्ययन किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सागर नगर के शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. सागर नगर के शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

3. शोध के निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1. **प्राथमिक शाला**–सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार ऐसी शाला जहाँ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत आती है। प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चे 6 से 11 आयु वर्ग के होते है।
2. **मूलभूत सुविधा**–शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एवं सर्वशिक्षा अभियान (2001) के अनुसार मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत भौतिक सुविधाएँ यथा समावेशी विद्यालय भवन, पेयजल की सुविधा लड़के एवं लड़कियों हेतु अलग–अलग शौचालय, उपयुक्त फर्नीचर, खेल के मैदान, चहारदीवारी, रसोईघर, विद्युत कनेक्शन इत्यादि तथा शैक्षिक सुविधाएँ यथा प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षक–छात्र अनुपात, श्यामपट्ट, छात्रवृत्ति सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि।

अनुसंधान प्रणाली

शिक्षा अनुसंधान में विधि का अर्थ होता है नियमितता तथा क्रमबद्धता से क्रियाओं को व्यवस्थित करना। विधि शब्द को प्राचीन नियंत्रित प्रयोगात्मक पद्धति से लिया गया है क्योंकि विधि में व्यवस्था, नियमित्तता तथा क्रमबद्धता को महत्व दिया जाता है। शोध प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें एक शोधकर्ता अपनी अध्ययन वस्तु के संबंध में तथायुक्त निष्कर्ष निकालने के लिये उपयोग में लाता है। एक अनुसंधानकर्ता निश्चित रूप से किस विधि को अपनायेगा यह अनुसंधान की प्रकृति क्षेत्र व उपलब्ध धन तथा समय पर निर्भर करता हैं। अतः किसी भी शोध कार्य में अध्ययन विधि का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

अनुसंधान विधि

शैक्षिक अनुसंधान में कई विधियाँ है जिनके आधार पर अनुसंधान को सम्पादित कर निष्कर्षो तक पहुँचा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान प्रकार का है क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी क्षेत्र, समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्लेषित करने तथा प्रतिवेदित करने का प्रयास किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान दशाओं व सम्बन्धों जो विद्यमान है, राय जो रखी गई है, प्रक्रियाएँ जो चल रही है, प्रभाव जो प्रत्यक्ष है अथवा प्रवृत्तियाँ जो विकसित हो रही है से सम्बन्धित होता हे। वर्णनात्मक अनुसंधान का एक सर्वाधिक प्रचलित प्रकार सर्वेक्षण अनुसंधान है। सर्वेक्षण किसी क्षेत्र समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्लेषित करने व्याख्यायित करने तथा प्रतिवेदित करने का एक सुनियोजित प्रयास है जिसमें प्रायः प्रश्नावली साक्षात्कार या परीक्षणों के माध्यम से वैयक्तिक रूप में न देखकर समूह की विशेषताएँ सामूहिक रूप में न देखकर समूह की विशेषताएँ सामूहिक रूप में देखी जाती है।

जनसंख्या, न्यादर्शन विधि एवं न्यादर्श

शोध में जनसंख्या शब्द का अर्थ भिन्न होता है। जनंसख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। सम्पूर्ण इकाइयों में से कुछ ईकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता हैं। न्यादर्श की इकाई के निरीक्षण तथा मापन में जनसंख्या विशेष के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। शोध व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यो में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोधकार्य को पूरा नही किया जा सकता है। यद्यपि विज्ञान के विषयों में भी न्यादर्श का प्रयोग होता है किन्तु न्यादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है। जनसंख्या का जो भी अंश उपलब्ध होता है वही जनसंख्या का शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु सामाजिक विषयों में न्यादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है कि किस प्रकार चयन किया जाये कि जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना कठिन होता है तथा कभी–कभी समय एवं श्रम का अपव्यय भी होता है। अतः न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिम्ब निहित होता है। अतः एक उत्तम प्रकार के शोधकार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी सूचनाओं पर बल दिया जाता है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शोधकार्य के उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए सागर शहर के 15 शासकीय प्राथमिक शालाओं का चयन किया है जो निम्नलिखित है–

1. शासकीय प्राथमिक बालक शाला, शनिचरी
2. शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, पन्तनगर
3. शासकीय प्राथमिक कन्या शाला, शुक्रवारी
4. शासकीय प्राथमिक बालक शाला, कनेरा देव
5. शासकीय प्राथमक कन्या शाला, कटरा पडाव
6. शासकीय प्राथमिक शाला, पुलिस लाइन हरीसिंह वार्ड
7. शासकीय प्राथमिक शाला, सिविल लाइन
8. शासकीय प्राथमिक कन्या, शाला, पुरव्याऊ
9. शासकीय प्राथमिक बालक शाला, पुरव्याऊ
10. शासकीय प्राथमिक शाला, तिलकगंज
11. शासकीय प्राथमिक शाला, संजय नगर, सदर–02
12. शासकीय प्राथमिक कन्या शाला, कनेरादेव
13. शासकीय प्राथमिक शाला कन्या शाला, उर्दू परकोटा
14. शासकीय प्राथमिक शाला, शिवाजी वार्ड
15. शासकीय प्राथमिक बालक शाला, शुक्रवारी

उपकरण एवं सांख्यिकीय प्रविधि

प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान कार्य में ऑकड़ों के संकलन हेतु विभिन्न प्रकार साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें उपकरण कहा जाता है। सफल अनुसंधान के लिये उपयुक्त यंत्र व उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्व है। शोधकर्ता के लिये आवश्यक है कि उसे उपकरणों का व्यापक ज्ञान हो। परीक्षण संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुये शोधकर्ता ने शोध के उद्देश्य की दृष्टि से स्वनिर्मित अवलोकन चेकलिस्ट का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण हेतु किया गया है। जिसमें खुले एवं बंद प्रकार के प्रश्न है।

अवलोकन अनुसूची में 11 प्रश्न प्राथमिक शाला से सम्बन्धित सामान्य जानकारी 22 प्रश्न भौतिक सुविधाओं से सम्बन्धित एवं 9 प्रश्न शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित है

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

कुल 42 प्रश्नों की अवलोकन सूची है जिससे शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का मापन किया गया। परीक्षण की सहायता से संकलित किये गए ऑकड़ों से प्राप्त सूचनाएँ जटिल असम्बद्ध तथा बिखरे रूप में होती है। इन सूचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करने से पहले इन्हें निश्चित रूप प्रदान करना आवश्यक है। इस हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अतः सांख्यिकीय अनुसंधान का आवश्यक अंग है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में शोधकर्ता ने आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया है।

अनुसंधान के निष्कर्ष एवं उनकी व्याख्या

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य सागर नगर स्थित प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं एवं शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना था। ऑकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये जो अग्रलिखित है :

1. प्राथमिक शालाओं में मुख्य रूप से शिक्षक–छात्र अनुपात 1:10, 1:12, 1: 6 एवं 1:15 था। ध्यातव्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। उपरोक्त के आलोक में यह कहा जा सकता कि शिक्षक–छात्र अनुपात प्राथमिक शालाओं में बहुत ही उल्लेखनीय था।
2. सभी प्राथमिक शालाओं के पास अपने स्वयं के भवन थे जिसमें लगभग 86.7 प्रतिशत शालाओं के पास पक्के भवन थे, 6.7 प्रतिशत शालाओं के भवन जर्जरस्थिति में थे एवं 6.7 प्रतिशत शालाओं के भवन कच्चे थे।
3. सभी शालाओं में पीने के पानी के भंडारण की व्यवस्था थी। 80 प्रतिशत शालाओं के पास पानी पीने के भंडारण के रूप स्टील की टंकी थी तथा 20 प्रतिशत शालाओं के पास भंडारण हेतु मिट्टी का घड़ा था परन्तु किसी भी शाला में आर.ओ का पानी या हैण्डपम्प से सीधे पानी पीने जैसी सुविधायें नही थी।
4. सभी प्राथमिक शालाओं में शौचालय की व्यवस्था थी जिसमें 86.6 प्रतिशत शालाओं में ही लड़के एवं लड़कियों के अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था थी 13.3 प्रतिशत शाला ऐसे थे जिसमें लड़के–लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था नही थी। अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि शौचालयों में पानी की उचित व्यवस्था का अभाव था।
5. खेल के खेलने के लिये मैदान की व्यवस्था ज्यादातर प्राथमिक शालाओं के पास उपलब्ध नही थी। केवल 40 प्रतिशत शालाओं के पास खेल का मैदान था। उक्त खेल के मैदान भी आवश्यकतानुरूप नहीं थे।
6. सभी शालाओं में विद्यार्थियों के कक्षा–कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था थी अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि किसी भी प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों के बैठने हेतु उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था नही थी।
7. ज्यादातर प्राथमिक शालाओं की अपनी चहारदीवारी थी केवल 33 प्रतिशत शालाओं के पास अपनी चहारदीवारी की व्यवस्था थी। अवलोकन में पाया गया कि चहारदीवारियॉ जगह–जगह क्षतिग्रस्त थी।
8. सभी शालाओं में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था थी परन्तु किसी भी शाला में रसोईघर की व्यवस्था नही थी। अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि मध्याहन भोजन मेनू के अनुसार ही बच्चों को दिया जाता था, परन्तु भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी।
9. ज्यादातर प्राथमिक शालाओं में पंखा ट्यूबलाईट, बल्ब जैसी सुविधायें नही थी केवल 40 प्रतिशत शालाओं के कक्षा–कक्षों में पंखा, बल्व, ट्यूवलाइट की व्यवस्थायें थी।
10. अध्ययन में यह भी पाया गया कि 75 प्रतिशत शालाओं में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिये अलग–अलग प्रसाधन की व्यवस्था नही थी।
11. सभी शालाओं में अध्यापकों के लिये मेज कुर्सी की व्यवस्था थी।
12. प्राथमिक शालाओं में वाधा रहित पहुँच के लिये उचित व्यवस्था केवल 87 प्रतिशत शालाओं में पाया गया। 13 प्रतिशत विद्यालयों के रास्ते बच्चों के अनकूल नहीं थे।
13. 67 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं के पास खेलकूद के सामान की व्यवस्था थी जबकि केवल 26 प्रतिशत शालाओं में खेलकूद के सामान साथ उनके रखरखाव हेतु अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था थी।
14. सभी शालाओं के अध्ययन कक्ष में श्यामपट्ट की व्यवस्था थी, परन्तु श्यामपट्टों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
15. छात्रवृत्ति के संदर्भ में यह पाया गया कि प्राथमिक शाला में अध्ययनरत केवल अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्र–छात्राओं को ही छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध थी।
16. सभी प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तके प्रदान की जाती थी। सभी प्राथमिक शालाओं की स्वयं की शाला प्रबंधन समिति थी, जिसकी बैठक प्रत्येक महीनें के मध्य में सम्पन्न की जाती थी।
17. सभी प्राथमिक शालाओं में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में चार्ट, माडल, मानचित्र एवं ग्लोब की औसत उपलब्धता थी जबकि किसी भी प्राथमिक शाला में कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट की व्यवस्था थी। ध्यातव्य है कि औपचारिक पुस्तकालय की व्यवस्था किसी भी शाला में नहीं थी।
18. दीवारों पर शिक्षा से सम्बन्धी आदर्श वाक्य विद्यार्थियां के आकर्षण एव नैतिक विकास हेतु शालाओं की लगभग 80 फीसदी पर अंकित/उल्लिखित था ।

अनुसंधान के शैक्षिक निहितार्थ

किसी भी सोद्देश्य कार्य के निहितार्थ अवश्य होते है क्योंकि उस कार्य की सार्थकता उसके निहितार्थ से होती है। यह संसार सागर इतना विस्तृत है कि प्रत्येक मनुष्य इसके सभी क्षेत्रों के बारे में जानकार उसके लाभ एवं हानि को नहीं जानकर उसके लाभ एवं हानि को नही पहचान सकता है। जब शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष

निर्धारित क्षेत्र पर अनुसंधान किया जाता है तभी उस क्षेत्र में स्थित भावी संभावनाओं एवं लाभ के साथ कमियों का भी पता चलता है। प्रस्तुत शोधकार्य में सागर शहर के प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा किये गये शोधकार्य से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर इस अध्ययन के निम्नलिखित निहितार्थ हो सकते हैः–

1. प्रस्तुत शोध कार्य से प्राथमिक शालाओं की मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धतता बढाकर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है।
2. इस शोधकार्य से प्राथमिक शालाओं की मूलभूत भौतिक सुविधाओं की कमियों को जान कर उन्हें दूर किया जा सकता है।
3. शालाओं की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर विद्यार्थियों के नामाकंन में वृद्धि किया जा सकता है।
4. शालाओं में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाकर प्राथमिक शालाओं के प्रति लोगों में व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्ति को कम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अग्रवाल, जे.सी. (1998), भारत में प्राथमिक शिक्षा, नई दिल्ली : विद्या विहार, पृ. 25, 31, 32*
2. *अल्तेकर, अनंत सदाशिव (2014), प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, वाराणसी : अनुराग प्रकाशन*
3. *कौल, एल. (2005). शिक्षा अनुसंधान की कार्यप्रणाली. नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस*
4. *चौहान, नम्रता (2017). प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित ग्रन्थ, अजीवन शिक्षा प्रसाद एंव समाजकार्य अध्ययन शाला जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/185933*
5. *पाण्डेय, सीमा (2007). उ.प्र. में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्राथमिक शिक्षा में नामांकन एवं शैक्षिक वातावरण, पर प्रभाव का अध्ययन प्रकाशित शोध ग्रन्थ–शिक्षाशास्त्र विभाग दीनदयाल उपायध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर*
6. *पाण्डेय, नीरद कुमार (2012). देवरिया जनपद में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव पर शासन द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन प्रकाशित शोधग्रन्थ डॉ. राम महोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ.प्र.) Retrieved from http://hdl.handle.net/ 10603/238643*
7. *पाण्डेय, अजय कुमार (2008). गोरखपुर जनपद में स्थित एकल तथा शिक्षा मित्रो द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन प्रकाशित शोध ग्रन्थ, शिक्षाशास्त्र विभाग दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर*
8. *पाठक, चन्द्रभूषण (2014). शिक्षा का अधिकार, इलाहबाद : अनुभव पब्लिशिंग हाउस*
9. *मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, (2011), सामर्थ्य मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल*
10. *मिश्रा, (2018). जर्नलस ऑफ एज्युकेशनल स्टडी, भाग–6(2) एवं अगस्त 2017 एंव फरवरी–2018, पृ. सं. 59–70*
11. *मिश्रा, विनीता (2009). सर्वशिक्षा के विशेष संदर्भ में फैजाबाद मण्डल की प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं समस्याओं का अध्ययन, प्रकाशित शोधग्रन्थ शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद*
12. *राम, (2006). सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा और विद्यालय परित्याग की समस्या, शोध–पत्र राष्ट्रीय संगोष्ठी, शिक्षा शास्त्र विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी*
13. *वदन, राम (2017) गोरखपुर जनपद में प्राथमिक शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन प्रकाशित शोध ग्रन्थ शिक्षा शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/225137*
14. *लाल रमन बिहारी, सुनीता पलोड़ (2013). शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग मेरठ, आर.लाल, बुक डिपो, मेरठ, पृ. सं. 8–9*
15. *लाल, रमन बिहारी एवं कृष्ण कान्त शर्मा (2012). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, मेरठ : आर.लाल बुक डिपो*
16. *सिंह, संजीव रविकृष्ण कुमार (2010). उत्तप्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये 'स्कूल चलो अभियान कार्यँम का बलरामपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रकाशित शोध ग्रन्थ, बी.एड. विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.), Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/239885*
17. *सिंह, देवेन्द्र, मुरारी सिंह यादव एवं संजीव कुमार (2017). प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों का सर्वशिक्षा अभियान के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन, भाग–6, आईएसएसयूई–2.*